ಕ್ರ.ಸಂ 35294

# ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕರ್ನಾಟಕ

# RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
## KARNATAKA

ಡಾ॥ ನವೀನ್ ಶರ್ಮ

ರವರು, ಪದವಿಗೆ ಯಥಾ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು

ಮಾರ್ಚ್ 2006 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವರೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ

ಆಯುರ್ವೇದಾಚಾರ್ಯ (ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ)

ಪದವಿಯನ್ನು ಕುಲಾಧಿಪತಿ, ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿ, ಕುಲಪತಿ ಹಾಗೂ ಸೆನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ

ನಾಪ್ರ್ಣನೇ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮ ರಂದು ನಡೆದ ೧೦ ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರ ಮುದ್ರೆಯೊಡನೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

*We, the Chancellor, the Pro-Chancellor, the Vice-Chancellor and the members of the Senate and the Syndicate confer*

**AYURVEDACHARYA (BACHELOR OF AYURVEDIC MEDICINE AND SURGERY)**

*on*

**Dr. NAVEEN SHARMA**

*in recognition of fulfillment of the requirements for the said Degree in the examination held during* **MARCH 2006**

*Given under the seal of the University, in the* **10th** *convocation held on* **29th March 2008**

SNShr

*Vice-Chancellor*



*Bangalore* *Date :* 29/03/2008

Reg. No. : 01A8415

College : TMAE SOCIETY`S AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE, ...

2261

संख्या वै0- 3344

# आयुर्वेदिक एवम् यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड

पंजीकरण प्रमाणपत्र

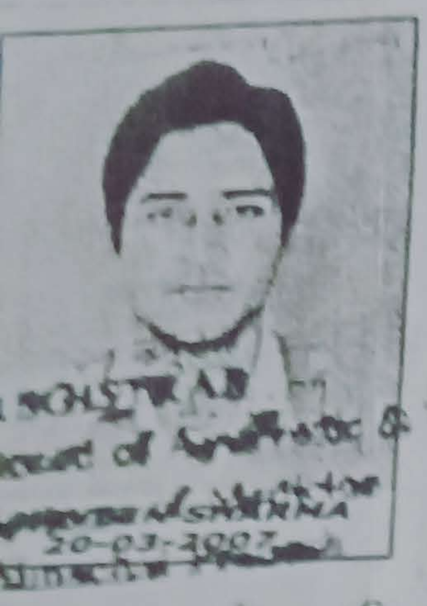

हिमाचल प्रदेश



शिमला

मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री/~~श्रीमती~~/~~कुमारी~~ नवीन शर्मा,

~~पुत्र/पुत्री/पत्नी~~ श्री ज्ञान चन्द शर्मा, को हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक एवम् यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1963 के अधीन भाग प्रथम में आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में दिनांक 30-6-2009 को पंजीकृत कर लिया गया है।

योग्यताएं: बी0ए0एम0एस0: मार्च-2006: राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक, बंगलौर

जन्म तिथि 19-1-1982 :

पता गांव व डाक0 चमनेड़,

तह0 व जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

टिप्पणियां:—

(1) यह प्रमाण-पत्र इसके धारक को केवल हिमाचल प्रदेश के अन्दर ही व्यवसाय चलाने का अधिकार देता है।

(2) यह प्रमाणपत्र वर्ष 2009 के लिए मुद्रित पंजिका के प्रकाशन तक केवल पंजीकरण का साक्ष्य होगा।

2-07-2009, 198 .

पंजीयक।

## आवश्यक सूचना

प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी को इस बारे में सावधान रहना चाहिए कि यदि उसके पते में कोई परिवर्तन हो जाए तो उसकी सूचना पंजीयक को तुरन्त भेजी जाए और इस सम्बन्ध में पंजीयक द्वारा यदि कोई पूछताछ की जाए तो उसका उत्तर तुरन्त भेजा जाए ताकि उसका ठीक पता पंजिका में दर्ज हो सके अन्यथा हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक एवम् यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1968 की धारा 14(5) के अधीन व्यवसायी का नाम पंजिका में से हटाया जा सकता है।

Attested